



**कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़**  
(आवश्यक सूचना)

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 1180 दिनांक 29.05.2015, विभागीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 31.07.2014, विभागीय अधिसूचना संख्या 1632 दिनांक 05.09.2012 (झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012) एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय पत्रों/परिपत्रों के आलोक में गैर योजना इन्टर प्रशिक्षित शिक्षक (1 से 5) के पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व में दस काउंसिलिंग का आयोजन पाकुड़ जिला में किया गया है। अंतिम काउंसिलिंग के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों का कट-ऑफ का विवरण निम्नवत् है:-

कोटि	पारा		गैर पारा	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
अनारक्षित	59.56	59.52	54.12	53.32
अनुसूचित जाति	54.40	54.33	47.23	47.89
अनुसूचित जनजाति	42.46	44.61	51.43	50.80
पिछड़ा वर्ग	60.26	57.16	62.90	61.47
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	59.81	51.97	57.58	57.24

पूर्व में आयोजित दस काउंसिलिंग के उपरान्त विज्ञापित पद के विरुद्ध नियुक्ति एवं रिक्ति का विवरण निम्नवत् है :-

कोटि	पारा शिक्षक के लिए						गैर पारा शिक्षक के लिए					
	विज्ञापित पद का विवरण		विज्ञापित पद के विरुद्ध नियुक्ति		नियुक्ति उपरान्त रिक्ति का विवरण		विज्ञापित पद का विवरण		विज्ञापित पद के विरुद्ध नियुक्ति		नियुक्ति उपरान्त रिक्ति का विवरण	
	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला
अनारक्षित	99	50	94	49	5	1	99	50	27	16	72	34
अनुसूचित जाति	11	6	1	1	10	5	10	5	1	0	9	5
अनुसूचित जनजाति	77	39	12	2	65	37	76	38	3	0	73	38
पिछड़ा वर्ग	6	3	2	1	4	2	6	3	6	3	0	0
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	8	4	3	2	5	2	8	4	3	1	5	3
<b>कुल -</b>	<b>201</b>	<b>102</b>	<b>112</b>	<b>55</b>	<b>89</b>	<b>47</b>	<b>199</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>159</b>	<b>80</b>

अवर सचिव, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 203 दिनांक 29.01.2019 के आलोक में उपलब्धि रिक्ति पर दोगुणी संख्या में अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार कर पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है -

(क) जिन अभ्यर्थियों (पारा एवं गैर पारा) की नियुक्ति जिले के अन्तर्गत या राज्य के अन्य जिलों के अन्तर्गत पूर्व में हो चुकी है उनका नाम इस औपबंधिक मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ख) पारा श्रेणी के औपबंधिक मेधा सूची में उन अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जो पूर्व में आयोजित काउंसिलिंग में अनुपस्थित थे।

(ग) गैर पारा श्रेणी के औपबंधिक मेधा सूची में उन सभी DPE योग्यताधारी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है जो पूर्व के काउंसिलिंग में अनुपस्थित थे।

(घ) न्यायनिदेश से आच्छादित अभ्यर्थी जिनके संबंध में निदेशालय के स्तर से कोई आदेश पारित है उनका नाम भी औपबंधिक मेधा सूची में सम्मिलित किया गया है।

*CDM* *CDM*

*gpe*



e-mail – pakur.mdm@gmail.com

उपरोक्त औपबंधिक मेधा सूची में अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित आंकड़ा नियुक्ति के क्रम में उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज पर आधारित है। जिला स्तर पर आंकड़ा संग्रहन के क्रम में संभव है कुछ त्रुटियाँ रह गई हो। ऐसा भी संभव है कि उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रख कर जिस औपबंधिक मेधा सूची का निर्माण किया गया है उसके अन्तर्गत आने वाले किसी अभ्यर्थी का नाम छुट गया हो। दोनों स्थिति में किसी अभ्यर्थी को यदि कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 11.04.2019 तक साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और तदनुसार संलग्न औपबंधिक मेधा सूची के आलोक में आगे की कारवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

जिला शिक्षा अधीक्षक

—सह—

अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी

पाकड़  
29/3/19

29/3/19